न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 41/2017

अपीलार्थीगण– *बनाम*

1. मंगलाराम पुत्र गजाराम जाति कोली (सरपंच बावरवाला)
2. मसरूपाराम पुत्र देवाराम जाति रबारी
3. सरदाराराम पुत्र गंगाराम जाति कोली
4. गोकलाराम पुत्र आसूराम जाति रबारी
5. चिमनाराम पुत्र जवाराम जाति कोली
6. चिमनाराम पुत्र जवाराम जाति कोली

निवासी बावरवाला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स–

1. जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर
2. करनाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी नवापुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2017 जो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री नरेश कुमार, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगेन्द्र कुमार रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. विभागीय पैरोकार रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 04.02.2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनयमन) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांकः एफ.

जिला कलक्टर बाड़मेर

15(24)(11)रसद/2015/ 844 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा श्री करनाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति जाट निवासी नवापुरा तहसील सेड़वा को उचित मूल्य दुकान बावरवाला (रिक्त) हेतु प्राधिकार पत्र संख्या 10/2017 एसडब्ल्युडी जारी किया गया। इस आदेश के अनुसरण मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर ने अपने आदेश क्रमांकः एफ. 15(24)(11)रसद/2015/2495 दिनांक 06.06.2017 के द्वारा उक्त श्री करनाराम पुत्र श्री चुतराराम जाट उचित मूल्य दुकानदार को रसद सामग्री के उठाव हेतु अधिकृत कर निर्देशित किया कि वे पूर्व मे अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार से रसद सामग्री का स्टॉक कीमतन एवं पोश मशीन प्राप्त कर उचित मूल्य दुकान के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का नियमानुसार वितरण करें। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। इस अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा कर अन्दर मयाद स्वीकार किये जाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये।

2 अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधिनस्थ कार्यालय का अभिलेख प्राप्त किया गया।

3 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर प्रकट किया कि रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष मे अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भूल की गई है तथा यह आदेश प्रारम्भतः खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा जो आदेश दिनांक 06.06.2017 पारित किया गया है उसमे भारी भूल व अनियमितता की है जबकि उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र मे शर्त सं. 1 मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि "ग्रामीण क्षेत्र मे उचित मूल्य दुकान के मामले मे आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत मे

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उचित मूल्य दुकान स्थित है" उक्त शर्त मे यह भली–भांति स्पष्ट है कि आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत मे उचित मूल्य दुकान स्थित है जबकि रेस्पोडेंट सं. 2 गांव जगदम्बा नगर (नवापुरा) का स्थानीय निवासी है जिसके सम्बन्ध मे नवापुरा सरपंच के द्वारा निवास का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। रेस्पोडेंट सं. 1 के कार्यालय मे प्रस्तुत दस्तावेजों मे भी रेस्पोडेंट सं. 2 को नवापुरा का निवासी होना अंकित किया है फिर भी रेस्पोडेंट सं. 2 को उचित मूल्य दुकान बावरवाला का आदेश जारी किया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। यह भी अंकित किया है कि रेस्पोडेंट 2 के द्वारा आवेदन करने के पश्चात सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 मे चार मे से दो सदस्यों ने रेस्पो0 सं. 2 के पक्ष मे मत नही देकर प्रकट किया कि उक्त आवेदक नवापुरा का निवासी है इसके बावजूद रेस्पोडेंट सं. 1 ने दोनो सदस्यों की असहमति को दरकिनार कर रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

4. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से विभागीय पैरोकार ने उपस्थित होकर प्रकट किया कि बावरवाला की उचित मूल्य दुकान हेतु रेस्पोडेंट सं. 2 का चयन जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांकः एफ. 15(24)(11)रसद/2015/ 844 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा श्री करनाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति जाट निवासी नवापुरा तहसील सेड़वा को उचित मूल्य दुकान बावरवाला (रिक्त) हेतु प्राधिकार पत्र संख्या 10/2017 एसडब्ल्युडी जारी किया गया। इस आदेश की पालना मे ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 को उक्त उचित मूल्य दुकान के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को रसद सामग्री वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय के आदेशों की अनुसरण मे जारी किया गया है जो अधिनस्थ कार्यालय के स्वंय के विवेकाधीन होकर अनुपालना आदेश है । अपीलांट्स द्वारा अपील मे उल्लेखित तथ्य एवं आधार इस कार्यालय द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के विरूद्ध है जबकि इस कार्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पन्न कराई गई है। इसके बावजूद भी यदि अपीलांट्स इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.03.2017 से असंतुष्ट है तो यह अपील पुनः इस न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नही होने से मेंटेनेबल नही है। इस आधार पर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मेंटेनेबल नही होने से खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा इस कार्यालय के आदश क्रमांकः एफ. 15(24)(11)रसद/2015/844 दिनांक 06.03.2017 की अनुपालना मे श्री करनाराम पुत्र श्री चुतराराम जाति जाट निवासी नवापुरा तहसील सेड़वा को उचित मूल्य दुकान बावरवाला (रिक्त) हेतु प्राधिकार पत्र संख्या 10/2017 एसडब्ल्युडी उचित मूल्य दुकानदार को रसद सामग्री के उठाव एवं क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को वितरण हेतु अधिकृत कर निर्देशित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा इस अपील मे रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष मे जारी प्राधिकार पत्र को चुनौती दी गई है जो कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी नही किया गया है। ऐसे मे यदि इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.03.2017 से अपीलांट्स असंतुष्ट है जो उन्हे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए क्योंकि इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध इसी न्यायालय के समक्ष अपील मेंटेनेबल नही हो सकती है। इसके बावजूद भी प्रकरण मे बहस उपरांत निर्णय हेतु निर्धारित तिथी को अपीलांट्स ने उपस्थित होकर यह अपील जरिये राजीनामा विड्रा करने का

जिला कलक्टर
बाडमेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील जरिये राजीनामा विड्रा होने एवं मेंटेनेबल नही होने से खारिज की जाना उचित प्रतीत होती है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विड्रा खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 04.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजस्थान

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर